विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं-11 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
*11(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2025 जो कि जिलाधिकारी गोरखपुर को सम्बोधित एवं महदेवा बाजार खजनी, गोरखपुर के आबादी भाग में शराब की दुकान हटाये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है?	मा. सदस्य का पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2025 जो महादेवा बाजार खजनी, गोरखपुर के आबादी भाग में खुली शराब की दुकान हटाये जाने के संबंध में है, जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है।
(ख) यदि हाँ, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर कार्यवाही की मांग की गयी है?	पत्र में महादेवा बाजार थाना-सिकरीगंज, तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर में देशी शराब दुकान आबादी भाग में खुलने पर उक्त दुकान का स्थानीय जनता द्वारा काफी विरोध किये जाने का उल्लेख करते हुए दुकान को आबादी भाग से बाहर कराने का उल्लेख किया गया है।
(ग) उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?	मा. सदस्य के उक्त पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2025 एवं पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2025 में की गयी अपेक्षानुक्रम में देशी मदिरा दुकान महादेवा बाजार को पूर्व स्थल से अन्यत्र स्थानान्तरित कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त दुकान उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (यथासंशोधित) के समस्त उपबन्धों का पालन करते हुए सुचारू रूप से संचालित है।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक कार्यवाही पूर्ण करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग।